

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

गोपी

बनाम

शालू लाल

कसम मुकदमा

वाद

नं०

०४

सन् २०२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
०७ ०९/२०२५	<p>पत्रावली पेश हुई (आभिप्रायक संग द्वारा) न्यायिक कार्य स्थगित करने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/07/2024 को पेश की जावे</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
१२ २०२५	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा पत्रावली में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया जो दिया जाता है। पत्रावली वस्तु साक्ष्यवादी दिनांक 30/07/2024 को पेश है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
३० ०७ २०२५	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में न्यायालय में पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र को इसी स्तर पर अदम दर्जिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल इफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (पिताइयत)</p>	